

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/आर-95/2023- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० मिन्दु कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना के प्रभार रहित अवधि को निम्नवत् विनियमित किया जाता है :-

i	दिनांक-27.09.2020 से 23.12.2021 तक	-	अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में (विभागीय अधिसूचना संख्या-2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)।
ii	दिनांक-24.12.2021 से 01.03.2022 तक	-	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-180 के आलोक में)
iii	दिनांक-02.03.2025 को	-	पारगमन काल
iv	दिनांक-03.03.2025 से 15.04.2025 तक	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (मुख्यालय)।

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव

संख्या-2/आर-95/2023-

1995 (2)

पटना, दिनांक 13 / 8 / 2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/निदेशक, इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० मिन्दु कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना /प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रे. आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

8